रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड ( ii )
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314 ] नई दिल्ली, सोमवार, मई 8, 2000/वैशाख 18, 1922
No. 314 ] NEW DELHI, MONDAY, MAY 8, 2000/VAISAKHA 18, 1922

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2000

का.आ. 441( अ ).—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामले, अर्थात 31 अक्टूबर,1984 को स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के परिणामस्वरूप निर्दोष सिखों की हत्या की जाचं करने के प्रयोजन से एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है ;

और 31 अक्टूबर, 1984 को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और देश के कुछ अन्य भागों में गंभीर हिंसा फैल गई, और हिंसा के परिणामस्वरूप हजारों सिखों की जान गई और अन्य अनेक गंभीर रूप से घायल हुए, आगजनी के परिणामस्वरूप उनके घरों और संपत्तियों को जला दिया गया और इनमें से अनेक बेघर हो गए । इन दंगों से सिख समुदाय और जनता में काफी चिंता और दुख व्याप्त हो गया ;

और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपनी तारीख 26 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना सं. का.आ. 362(अ) के अधीन न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया जिसका कार्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामले, अर्थात हुई हिंसा की जाचं करना और सुधारात्मक उपाय करना था ताकि न्याय की पूर्ति हो सके ;

और समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से सिख समुदाय ने यह व्यापक मांग की है कि सिख समुदाय को निशाना बना कर 31 अक्टूबर, 1984 को और उसके पश्चात हुए आपराधिक दंगों के कारण हिंसा, प्राधिकार के दुरूपयोग, कानून लागू करने वाली एजेंसियों और उनकी भी जो उनपर नियंत्रण रखने की स्थिति में थे, की लापरवाही और उदासीनता तथा की गई ज्यादतियों, की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जांच कराई जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, जाचं आयोग अधिनियम, 1952(1952 का 60), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जांच आयोग नियुक्त करती है, जो भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री जी टी नानावटी से मिलकर बनेगा ।

2. निर्देशार्थ विषयः-

(i) आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में जांच करेगा :-

(क) 31 अक्टूबर, 1984 को और उसके पश्चात् दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र तथा देश के अन्य भागों में सिख समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाकर आपराधिक हिंसा और दंगों के कारणों और घटनाक्रम की जांच,

(ख) ऐसी हिंसा और दंगों से संबंधित घटनाक्रम तथा सभी तथ्य,

(ग) क्या इस जघन्य अपराध को टाला जा सकता था और क्या इसके लिए उत्तरदायी अन्य किन्हीं प्राधिकारियों/व्यकितयों की ओर से इस संबंध में कोई चूक हुई या कर्त्तव्यों की अवहेलना हुई है,

(घ) उक्त हिंसा और दंगों से निबटने और उनकी रोकथाम करने के लिए किए गए प्रशासनिक उपायों की पर्याप्तता की जांच करना,

(ड.) न्याय की पूर्ति करने के लिए उपायों की सिफारिश करना,

(च) ऐसे विषयों पर विचार करना जिन्हें जांच के दौरान संगत पाया जाए ।

(ii) आयोग द्वारा जांच निम्नलिखित के संबंध में की जाएगी;

(क) किसी भी व्यक्ति अथवा संगम द्वारा आयोग के समक्ष शिकायतों या अभिकथन उस प्ररूप में तथा उन शपथ पत्रों सहित प्रस्तुत किए जाएंगे जिन्हें आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, और

(ख) पैरा 2(1) (क) से (च) से संबंधित ऐसे दृष्टांत जो या तो केन्द्रीय सरकार या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की सरकार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा इसके ध्यान में लाए जाएं ।

3. आयोग, यथाशीघ्र लेकिन अधिक से अधिक अपनी पहली बैठक की तारीख से छः मास के भीतर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

4. यदि आयोग उचित समझे तो वह पैरा 2 में उल्लिखित किसी भी विषय के संबंध में अंतरिम रिपोर्ट उक्त तारीख से पहले केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर सकता है ।

5. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

6. केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि आयोग द्वारा की जाने वाली जांच का स्वरूप और मामले की अन्य परिस्थितियों को देखते हुए जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के सभी उपबंध आयोग पर प्रयोक्तव्य बनाए जाएं और केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उस धारा की उक्त उपधारा (2),(3), (4) और (5) के सभी उपबंध आयोग पर लागू होंगे ।

[फा. सं. 14011/175/99-दिल्ली-II]
डा. पी. डी. शेनाय, अपर सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2000

S. O. 441 (E).—Whereas the Central Government is of the

Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, killing of innocent Sikhs following the assassination of Smt. Indira Gandhi, the late Prime Minister, on the 31st October, 1984;

And whereas on 31st October, 1984, serious violence broke out in the National Capital Territory of Delhi and some other parts of the country and as a result of the violence, thousands of the Sikhs lost their lives and several others got seriously injured; their houses and properties were burnt down as a result of arson and many of them were rendered homeless. The riots caused a great deal of anxiety and pain to the Sikh Community and to the public;

And whereas the Government of India in the Ministry of Home Affairs appointed a Commission of Inquiry headed by Mr. Justice Ranganath Misra for the purpose of making an inquiry into that definite matter of public importance, to wit, the violence that occured and to take corrective measures to meet the ends of justice vide its notification number S.O.362 (E) dated, the 26th April, 1985;

And whereas there is a widespread demand from different sections of the public, particularly, the Sikh community for an inquiry into several aspects of violence, abuse of authority, remissness and apathy of law

exercise control over them, excesses committed and action taken or purported to be taken in the wake of criminal riots that broke out on 31st October, 1984 and afterwards, targetting the members of the Sikh community;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of Mr. Justice G.T. Nanavati, a retired Judge of the Supreme Court of India.

2. Terms of Reference:

(i) The Commission shall make an inquiry with respect to the following matters:

(a) to inquire into the causes and course of the criminal violence and riots targetting members of the Sikh community which took place in the National Capital Territory of Delhi and other parts of the country on 31st October, 1984 and thereafter;

(b) the sequence of the events leading to and all the facts relating to such violence and riots;

(c) whether these heinous crimes could have been averted and whether there were any lapses or

part of any of the responsible authorities/individuals;

(d) to inquire into the adequacy of the administrative measures taken to prevent and to deal with the said violence and riots;

(e) to recommend measures which may be adopted to meet the ends of the justice;

(f) to consider such matters as may be found relevant in the course of the inquiry.

(ii) The inquiry by the Commission shall be in regard to:

(a) complaints or allegations that may be made before the Commission by any individual or association in such form and accompanied by such affidavits as may be specified by the Commission, and

(b) such instances relatable to paragraph 2(i)(a) to (f) as may be brought to its notice either by the Central Government or the Government of the National Capital Territory of Delhi or the State Governments concerned.

3. The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than

4. The Commission may, if it deems fit, make interim reports to the Central Government before said date on any of the matters mentioned in paragraph 2.

5. The headquarters of the Commission shall be at New Delhi.

6. The Central Government is of the opinion that, having regard to the nature of the inquiry to be made by the Commission and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should be made applicable to the Commission and the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said section 5, hereby directs that all the provisions of the said sub-sections (2), (3), (4) and (5) of that section shall apply to the Commission.

[F. No. 14011/175/99-Delhi-II]
DR. P. D. SHENOY, Addl. Secy.